झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड

अभियंत्रण भवन, एच. ई. सी. धुर्वा,
राँची – 834004

(133)

संकल्प संख्या 1029/ दिनांक 14.05.07

संचिका संख्या – V/ कार्मिक/ नियम – 10112/ 02

विषयः झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के मातृत्व/ पितृत्व अवकाश की स्वीकृति।

झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 1361 दिनांक 14.03.2007 द्वारा राज्य सरकार के महिला एवं पुरुष कर्मियों को क्रमशः 135 दिनों का मातृत्व अवकाश एवं 15 दिनों का पितृत्व अवकाश की स्वीकृति दी गई है।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड ने अपने संकल्प संख्या 438/ 07–08 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों को प्रदत्त सशर्त्त प्रसव अवकाश एवं पितृत्व अवकाश के अनुरुप बोर्ड के महिला एवं पुरुष पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को भी क्रमशः 135 दिनों का मातृत्व अवकाश एवं 15 दिनों का पितृत्व अवकाश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्त्तों पर तत्क्षण प्रभाव से स्वीकृत करने का निर्णय लिया है।

मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)

पात्रता

महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश (Maternity Leave) निम्नानुसार स्थिति में प्रदान की जायगीः

(क) गर्भावस्था

(ख) गर्भहानि (Miscarraige) और गर्भपात (Abortion) (जिसमें Induced गर्भपात शामिल है) लेकिन Threatened गर्भपात के लिए यह लाभ नहीं दिया जाता।

अवकाश अवधि

(क) गर्भावस्था के लिए – 135 दिन।

(ख) गर्भहानि और गर्भपात के लिए – पूरें सेवाकाल में 45 दिन देय होगी।

शर्त्तें

(क) गर्भावस्था में प्रसूति अवकाश के लिए कर्मचारी के जीवित संतान की संख्या दो से कम होना चाहिये।

(ख) गर्भहानि एवं गर्भपात के लिए प्रसूति अवकाश के मामले में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और इसके लिए बच्चों की संख्या के लिए कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) प्रसूति अवकाश को किसी दूसरे अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

(घ) प्रसूति अवकाश के continuation में किसी भी प्रकार के बची हुई एवं देय अवकाश का लाभ अधिकतम एक वर्ष तक उठाया जा सकता है।

(ङ) यह किसी भी प्रकार के अवकाश खाते में विकलित नहीं की जायगी।

(च) इस अवकाश की अवधि की गिनती पेंशन एवं वेतनवृद्धि के लिए भी की जाती है।

(छ) प्रसूति अवकाश के लिए अवकाश वेतन अवकाश पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगा।

शिशु को गोद लेने के लिए अवकाश

दो से कम जीवित संतान वाली कर्मचारी शिशु को गोद लेने के लिए किसी प्रकार की देय और स्वीकार्य अवकाश एक वर्ष की अवधि के लिए या बच्चे की उम्र एक वर्ष होने पर, दोनों में जो

पहले हो, प्राप्त कर सकती है। इसके लिए 60 दिनों तक की अदेय अवकाश (Leave not due) और संचित अवकाश (Commuted Leave) बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये प्राप्त की जा सकती है।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave)

(i) पितृत्व अवकाश पुरुष कर्मचारियों को जिनकी दो से कम जीवित संतान हो, पत्नी के प्रसव काल में (अर्थात् प्रसव की तिथि से 15 दिन पहले तक या छः महीने बाद तक) मिल सकती है। अगर इस अवधि में अवकाश नहीं ली जाती तो इसे व्यापगत (Lapsed) माना जाता है।

(ii) अवकाश की अवधि 15 दिन।

(iii) इसे किसी दूसरे प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है।

(iv) सामान्यतः इसे देने से मना नहीं किया जा सकता।

(v) किसी अन्य अवकाश खाते से इसे विकलित नहीं किया जायगा।

(vi) पितृत्व अवकाश के लिए वेतन अवकाश पर जाने से पहले मिले अंतिम वेतन के बराबर होगा।

(vii) अस्थायी (Casual) श्रमिकों की स्थिति में पितृत्व अवकाश की स्वीकार्य समानुपातिक उपार्जित अवकाश (Pro Rata EL) के साथ जोड़ा जा सकता है।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड सेवा संहिता 1976 उक्त आशय के लिए संशोधित समझा जाय।

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से।

सचिव